संख्या-79/2022/658/227595/12-5-2022-सा0-18/2022/12-5099/68/2022(ई-आफिस)

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/पशुधन/दुग्ध विकास/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण /कृषि शिक्षा/कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/ सहकारिता/ वित्त/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/जैव प्रमाणीकरण बोर्ड/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, विभाग, उ०प्र० शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कृषि/कार्यकारी संचालक, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड पशुपालन/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पंचायती राज विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2022**

विषयः- राज्य में प्राकृतिक खेती के प्रसार को बढ़ाने व सतत मार्गदर्शन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

2. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गो-आधारित प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। नव गठित सरकार के संकल्प पत्र व कार्य योजनाओं में भी मिशन प्राकृतिक खेती को सम्मिलित किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त विकासखण्डों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है एवं बजट का प्राविधान भी हुआ है। उक्त के अतिरिक्त विशेष केन्द्र पोषित योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है जो गंगा के किनारे के तट के जनपदों सहित अन्य जनपदों में भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगी।

3. प्राकृतिक खेती के सफलतापूर्वक संचालन करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का कन्वर्जेंस आवश्यक है। उदाहरणार्थ:

(i) प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेट जोन हैं। प्रत्येक एग्रो क्लाइमेट जोन के अंतर्गत गो-आधारित खेती में कौन सी उपज व कौन सी प्रजाति सर्वोत्तम रहेगी, इसके लिए शोध व कृषकों के प्रशिक्षण हेतु कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

(ii) प्रदेश में आई0सी0ए0आर0 से सम्बंधित विभिन्न संस्थाएं है, उनका भी योगदान शोध कराना एवं उच्च स्तर की बीज व पौध उपलब्ध कराने में रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) कृषकों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती को कृषि विविधीकरण से जोड़ना आवश्यक होगा। इस कार्य हेतु उद्यान विभाग के अधीन संचालित योजनाओं का कन्वर्जेंस तथा प्रदेश में स्थापित सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

(iv) गो-आधारित खेती के संचालन हेतु देशी गाय की आवश्यकता है। कृषकों के पास देसी गाय उपलब्ध न होने की स्थिति में पशुपालन विभाग की सहभागिता योजना के अंतर्गत देशी गाय दिलाना आवश्यक होगा। साथ ही गोशालाओं में गो-आधारित खेती को इनपुट जीवामृत इत्यादि को बृहद स्तर पर बनाने की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(v) ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह को भी गो-आधारित खेती को बढ़ावा देने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

(vi) गो-आधारित खेती के क्लस्टर बनाने के पश्चात उन्हें कृषि उत्पादक संगठन में परिवर्तित करना होगा। इस हेतु नाबार्ड सहित राज्य की अन्य संस्थाएं जैसे यू0पी0डास्प इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

4. तत्क्रम में राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड निम्नानुसार गठन हेतु मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

5. बोर्ड के उद्देश्य निम्नवत होंगे:

(i) सम्पूर्ण प्रदेश में गो-आधारित प्राकृतिक खेती का प्रचार-प्रसार, प्राकृतिक खेती की उपज का विपणन तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का नीति निर्धारण व अनुश्रवण।

(ii) प्राकृतिक खेती के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के साथ कन्वर्जेंस।

(iii) प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले कृषकों के उपज को उचित मूल्य सम्वर्धन श्रृंखला विकसित करना, जिससे उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल सके।

(iv) प्राकृतिक खेती की उपज को उपभोक्तओं में प्रचार-प्रसार कर उसकी माँग स्थापित करना एवं बिक्री हेतु विभिन्न विकल्पों के विकास व मण्डी समितियों में ऐसे कृषि उत्पादों की विपणन की व्यवस्था विषयक दिग्दर्शन।

(v) क्लस्टर आधार पर प्राकृतिक खेती से जुड़े कृषकों को कृषि उत्पादक संगठन में रूपांत्रित करना।

(vi) प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों के उपज को जैविक प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराने हेतु अवस्थापना सुविचारित करना एवं उत्पादों का परीक्षण करना एवं कीटनाशक अवशिष्ट परीक्षण की व्यवस्था करने हेतु नेशनल एक्रीडेशन फण्ड आॅफ लेबोरेट्री को मानक के अनुसार प्रयोगशालायें स्थापित करना।

(vii) विभिन्न एग्रो क्लाइमेट क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु शोध करवाना एवं विभिन्न संस्थाओं से उच्च गुणवत्ता के बीज/पौध को उपलब्ध कराना।

6. बोर्ड की गवर्निंग बॉडी निम्नवत होगी:

(i) मा0 मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष।

(ii) मा0 मंत्री जी, कृषि एवं कृषि शिक्षा विभाग, उपाध्यक्ष ।

(iii) मा0 मंत्री जी, वित्त विभाग, सदस्य।

(iv) मा0 मंत्री जी, कृषि विपणन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) मा0 मंत्री जी, पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सदस्य।

(vi) मा0 मंत्री जी, पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सदस्य।

(vii) मा0 मंत्री जी, सहकारिता विभाग, सदस्य।

(viii) मा0 मंत्री जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, सदस्य।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य।

(x) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य।

(xi) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(xii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(xiii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(xiv) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(xv) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(xvi) सी0जी0एम0 नाबार्ड, सदस्य।

(xvii) समन्वयक, एस0एल0बी0सी0, सदस्य।

(xviii) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित प्राकृतिक खेती करने वाले 2 प्रगतिशील कृषक, सदस्य।

(xix) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित देश या राष्ट्र स्तर के 2 विशेषज्ञ, सदस्य।

(xx) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित आई0सी0ए0आर0 एवं कृषि विश्वविद्यालय के 2 विशेषज्ञ, सदस्य।

(xxi) प्राकृतिक खेती करने वाले 2 कृषक उत्पादक संगठन, सदस्य।

(xxii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य सचिव।

(xxiii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

गवर्निंग बॉडी द्वारा वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य स्तर पर नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा और संचालित योजना की समीक्षा की जाएगी।

7. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति निम्नवत होगी:

(i) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अध्यक्ष।

(ii) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, उपाध्यक्ष।

(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य।

(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(v) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(vi) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(vii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(viii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(ix) कुलपति, समस्त राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, सदस्य।

(x) निदेशक, पशुपालन विभाग, सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(xi) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सदस्य।

(xii) समन्वयक, यू0पी0डास्प, सदस्य।

(xiii) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, सदस्य।

(xiv) निदेशक, पंचायती राज विभाग, सदस्य।

(xv) सचिव, जैव प्रमाणीकरण बोर्ड, सदस्य।

(xvi) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, सदस्य।

(xvii) मा0 कृषि मंत्री जी द्वारा नामित गो आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले अनुभव प्राप्त 2 किसान। राज्य स्तरीय कार्यकारी बैठकों में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

(xviii) निदेशक, कृषि/कार्यकारी संचालक, उ0प्र0 प्राकृतिक खेती बोर्ड, सदस्य सचिव।

8. कार्यकारी समिति की बैठक वर्ष में 4 बार प्रत्येक त्रैमास में की जाएगी और उनका दायित्व निम्नवत होगा-

(i) गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

(ii) प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न स्वीकृत योजनाओं का वार्षिक कार्ययोजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त करते हुए उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

(iii) प्राकृतिक खेती से संबंधित समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन/मेला/प्रदर्शनी/ कार्यशालाओं की कार्ययोजना अनुमोदित कर क्रियान्वयन कराना।

(iv) कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में शोध कार्यों की समीक्षा करना तथा शोध में आए निष्कर्षों को प्रदेश की नीतियों में समाविष्ट करना।

(v) प्राकृतिक खेती की कृषि उपज के मूल्य सम्वर्धन व विपणन व्यवस्था का विकास करना।

(vi) प्रमाणीकरण एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना करवाना।

(vii) विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्थाओं को लागू करना।

प्राकृतिक खेती बोर्ड के गवर्निंग बाॅडी एवं कार्यकारी समिति में गैर सदस्यों के नामित होने पर उनको आने-जाने का व्यय व मानदेय (जो बोर्ड द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा), का व्यय, कृषि निदेशालय के अधीन बजट के माध्यम से वहन किया जाएगा।

9. प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत होगी:

(i) जिलाधिकारी, अध्यक्ष।

(ii) मुख्य विकास अधिकारी, उपाध्यक्ष।

(iii) जिला कृषि अधिकारी, सदस्य।

(iv) जिला उद्यान अधिकारी, सदस्य।

(v) जिला विकास अधिकारी, सदस्य।

(vi) परियोजना निदेशक, डी0पी0आर0ए0, सदस्य।

(vii) जिला समन्वयक, एन0आर0एल0एम0, सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(viii) डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नाबार्ड, सदस्य।

(ix) लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सदस्य।

(x) ए0आर0, कोपरेटिव, सदस्य।

(xi) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सदस्य।

(xii) महानिदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, सदस्य।

(xiii) मा0 कृषि मंत्री जी द्वारा नामित गो आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले प्रत्येक जनपद में 2 किसान।

(xiv) उप कृषि निदेशक, सदस्य सचिव।

10. आत्मा परियोजना के अंतर्गत जिला, ब्लाक लेवल के ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 इस योजना में फील्ड स्तर पर कार्य हेतु प्रभारी होंगे। जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का मुख्य दायित्व राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्देशों का अनुपालन करना तथा जिला स्तर पर प्राकृतिक खेती की कार्य योजना को अंतिम रूप से उच्च स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। यह समिति दो माह में एक बार बैठक कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी।

11. नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कृषि विभाग में गठित गंगा सेल राज्य स्तरीय बोर्ड के अधीन कार्य करेगा व सचिवालय के रूप में सेवा प्रदान करेगा। अगर भविष्य में प्राकृतिक खेती के प्रसार को बढ़ाने हेतु विशेषज्ञों या अन्य मानव सम्पदा की आवश्यकता पड़ी तो वह भी वित्त विभाग की सहमति के पश्चात आबद्ध होगी व बोर्ड के अधीन कार्य करेगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. कुलपति, समस्त राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समन्वयक, यू०पी० डास्प, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा० मंत्री, कृषि एवं कृषि शिक्षा/कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार/वित्त/उद्यान एवं खाद्य प्रसंसकरण/पशुपालन/दुग्ध विकास/पंचायती राज/ग्रामीण अभियंत्रण/सहकारिता/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
10. सी०जी०ए० नाबार्ड, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
11. समन्वयक, एस०एल०बी०सी०, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
13. जिला कृषि अधिकारी, कृषि/उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
14. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
15. जिला समन्वयक, एन०आर०एल०एम०, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
16. समस्त डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
17. समस्त लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
18. ए०आर०, कोपरेटिव, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
19. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
20. समस्त महानिदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
21. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
22. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
23. एस0आई0ओ0, एनआईसी, लखनऊ।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।